न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 88/2017

RCMS No. 2017/00387

प्रार्थीः–

1 ढगलीबाई पुत्री नवलाराम पत्नी लसाराम जाति सिरवी निवासी देवली (आऊवा) तहसील मारवाड़ जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. कमलादेवी पुत्री फुसाराम उर्फ फुआराम पत्नी नेमीचन्द जाति सिरवी निवासी जैतपुरा (आऊवा) हाल निवासी देवली (आऊवा) तहसील मारवाड़ जंक्शन
2. ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) जरिये सरपंच,
3. गीतादेवी चौधरी पत्नी नर्वोतम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत देवली (आऊवा) तहसील मारवाड़ जंक्शन

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 8/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 2/2017, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 76 दिनांक 17.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया के पिता नवलाजी पुत्र वनाजी का पुराना पैतृक मकान ग्राम देवली आऊवा के सिरवीयों के बास में आया हुआ स्थित है, जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में जीवाराम हरजी का मकान, पूर्व में नेवों की गली व हेमाजी खीमाजी का मकान तथा पश्चिम में आम रास्ता स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया के पिता नवलाजी का रहवासीय मकान आया हुआ स्थित है। प्रार्थीया के पिता के देहान्त के पश्चात उनके

अति० जिला कलेक्टर, पाली

विधिक वारिशान प्रार्थीया की माता मनुबाई व दो भाई फुआराम उर्फ फुसाराम, भोलाराम व प्रार्थीया के अलावा उनकी तीन बहने रूपी, कुकी व भूरी थे। उक्त मकान में प्रार्थीया अपनी माता के साथ निवास करती थी। प्रार्थीया की माता मनुबाई के देहान्त हो चुका है तथा मनुबाई के पुत्र भोलाराम भी लाऔलाद फौत हो चुका है तथा फुसाराम के एकमात्र पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 है। इस प्रकार नवली जी पुत्र वनाजी व मनुबाई की मृत्यु के पश्चात उनके वारिशान के रूप में प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 व उनकी तीनों बहिने रूपी, कुकी व भूरी शेष रही, जिसका उपरोक्त पैतृक रहवासीय मकान पर संयुक्त सामलात कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर विधि विरूद्ध रूप से वारिश प्रमाण पत्र तैयार करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत को प्रार्थीया के पुश्तैनी हक अधिकारी की पेतृक रहवासीय मकान की भूमि का पट्टा व प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 1 को नवलाजी की एकमात्र विधिक वारिशान मानते हुए व प्रार्थीया को उनके पैतृक रहवासीय मकान में स्थित हक अधिकार के विरूद्ध पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट करते हुए विधि विरूद्ध रूप से वारिश प्रमाण पत्र तैयार किया गया है तथा उसके आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह अप्रार्थी संख्या 1 के पति द्वारा पुश्तैनी मकान होना बताते हुए प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का पति का उक्त मकान पुश्तैनी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया कि यदि किसी प्रकार का विवाद होगा, तो पट्टा पुनः ग्राम पंचायत में जमा करवा दिया जावेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद था। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में उक्त भूमि पर गत 60 वर्षो से कब्जा होना बताया एवं अपनी पत्नी कमलादेवी व स्वयं के नाम का संयुक्त पट्टा जारी कराने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित किया हिक उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। इस कारण उक्त भूमि में प्रार्थीया के भी हक निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाए बिना जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का आपत्ति इश्तिहार भी जारी नहीं किया। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, वह विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत देवली आऊवा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार

अति० जिला कलक्टर, पाली

जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को पुश्तैनी होना बताया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो इस तथ्य की ताईद करता हो, कि उक्त भूमि को पुश्तैनी होना साबित करता हो। पंचायत द्वारा जो वारिश प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वो अप्रार्थी संख्या 1 को फुसाराम की पुत्री होने के तौर पर जारी किया गया है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्वयं प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को फुसाराम की पुत्री होना स्वीकार किया है। उक्त भूमि पर फुसाराम का रहवासी मकान बना हुआ है, जिसमें फुसाराम के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 निवास करती है तथा ग्राम पंचायत द्वारा समस्त तथ्यों एवं मौके, कब्जे आदि को दृष्टिगत रखते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उसके पति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा समस्त कार्यवाही प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पादित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 2/2017, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 76 दिनांक 17.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति नेमीचन्द द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर द्वारा अपनी पत्नी के पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें वांछित स्थल के पडौस अंकित करते हुए नजरी नक्शा भी दर्शाया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण आदि शुल्क जमा करवाये। इस पर 06.02.2017 को मिसल कायम की गई। इसके पश्चात दिनांक 20.02.2017 को वांछित भूमि के मौका निरीक्षण हेतु तीन पंच दरीयादेवी, श्री हरीश चौहान व श्री कमलेश चौहान की कमेटी मनोनीत की गई। इसके पश्चात दिनांक 22.03.2017 को कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 05.06.2017 को प्रस्ताव संख्या 8 की पालना में नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए।

पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए उक्त भूमि में स्वयं के अधिकारों का परीक्षण करवाना चाहा है, मुख्य रूप से हक हकूकों के निर्धारण का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इस कारण प्रार्थीया का उक्त तथ्य क्षैत्राधिकार विहिन होने से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीया अपने हक अधिकारों के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है। इसके अतिरिक्त तकनीकि त्रुटीयों के आधार पर पट्टे पर प्रश्नचिन्ह अंकित

अति० जिला कलक्टर, पाली

करना न्यायोचित नहीं है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय की त्रुटीयों का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगताया जा सकता है। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारीयों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नही होना चाहिये।" हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, देवली (आऊवा) द्वारा मिसल संख्या 2/2017, संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.06.2017 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 76 दिनांक 17.06.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 08/05/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली